



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273146
CG-DL-E-04062026-273146

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2760]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2760]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

का.आ. 2854(अ).— जबकि, केंद्र सरकार ने केवल खाना पकाने और प्रकाश की व्यवस्था के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले उच्च केरोसिन तेल (पीडीएस एसकेओ) मुक्त राज्यों/के.शा.प्र. में पीडीएस एसकेओ के वितरण को अधिक सुगम बनाने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3 की उप-धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ.1630 (ड.) दिनांक 29 मार्च, 2026 को जारी की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना की आवश्यकता संबंधी परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं तथा जनहित में इसमें प्रदान की गई छूट और अनुमतियों को आगे की अवधि के लिए जारी रखना आवश्यक है;

अतः पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 12 सपठित पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 29 मार्च, 2026 के का.आ. सं.1630 (ड.) की उक्त अधिसूचना की वैधता को, उसमें निहित नियमों और शर्तों के अधीन दिनांक 30.06.2026 तक, अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बढ़ाती है।

[फा. सं. एम-11021 (16)/1/2026-वितरण-पीएनजी]

अरुण कुमार, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2026

S.O. 2854(E).— Whereas, the Central Government had issued notification S.O. 1630(E) dated 29th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), for facilitating distribution of Public Distribution System Superior Kerosene Oil (PDS SKO) in PDS SKO free States/UTs for cooking and lighting purposes only;

And whereas, the circumstances necessitating the said notification continue to exist and it is considered necessary in public interest to continue the exemptions and permissions granted therein for a further period;

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) read with rule 201 of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government hereby extends the validity of the said notification Number S.O. 1630(E), dated the 29th March, 2026, till 30.06.2026 or till further order, whichever is earlier, on the same terms and conditions contained therein.

[F. No. M-11021(16)/1/2026-Distribution-PNG]

ARUN KUMAR, Director